

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001 Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-397

Sh. Arjun Kumar Advocate Seat No.32 Law Chembers Building Civil Court Meerut, UP Mobile-8433050410

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI

Reference: Your RTI application dated 03.05.19 received through CPM/Meerut's office on 30.05.19.

You have submitted your above RTI application at CPM/Meerut's office, The CPM/Meerut's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

Appellate Authority's name and address are as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

New Delhi: 30.05.2019

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 01 sheet.

CAT programs in the training programs of the constant of the c

पत्राकः - एम0टी0सी0/ई0एन0/आर0टी0आई0/भाग-6

विनास 27.05.2019

हिण्टी जी0एम0 एडमिन(पी0आई0ओ0), कीएपीरिट ऑफिस, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, प्राणित भेदान, नई दिल्ली।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना सुलभ कराने के सम्बन्ध में। सन्दर्भ:- आवेदनकर्ता श्री अर्जुन कुमार का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05 2019

आवेदनकर्ता श्री अर्जुन कुमार, एडवोकेट सीट नम्बर-32 ला चैम्बर्स बिल्डिंग सिविल कोर्ट मेरठ के द्वारा निम्नलिखित सूचना चाही गयी है:-

- जो दुकाने सरकारी जमीन पर 30 से 40 वर्षों से बनी हुई है उनको मुआवजा देने के क्या नियम है?
 - ं नेया दुकानों की लागत मूल्य से अलग अनुदान देने का नियम है?
- अ जिन व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है उन्हें किस दर से मुआवजा दिये जाने का नियम है?
- 4 वया व्यापारियों को अपना व्यापार अलग स्थापित करने के लिये अनुदान देने का नियम है?
- अनुदान राशि किस आधार पर तय की जाती है?
- 6 किसानों को भूमि के मुआवजे से अलग पांच लाख अनुदान देने का नियम है तो बेरोजगार होने वाले दुकानदरों के लिये कितना अनुदान देने का नियम है?

सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना निम्न प्रकार है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 की उपधारा-(d) (g) एंव (j) के अन्तर्गत श्री अर्जन कमार एडवोकेट को सूचना के प्रकटीकरण से छूट के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करावा जाना सम्भव नहीं

> oc. 2, Respects an tark very yearpes, by Telefax, 0121-2419040 & 50

रालग्नक:- आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

उप परियोजना प्रबन्धक् उप)जनसूच्या आध्यकारी डी०एफ०सी०सी०आई०एल० वेस्टा